राष्ट्रीय मासिक समाचार पत्र

हलधर किसान

डाक पंजी. क्र.- MP/KDW/93/2023-24

Email id: haldharkisankgn@gmail.com

RNI NO. MPHIN/2022/85285

वर्ष 03 अंक 08 | 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 | पृष्ठ- 8 मूल्य- 5.00 रुपए

चुनाव से पहले गाय को मिला 'राज्यमाता' का दर्जा

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लिया फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तरप्रदेश सीएम योगी के गाय, बछड़ो को दुलारे फोटो-वीडियो हाल ही में आए थे सामने

हलधर किसान

मुंबई (पशुपालन)। भारतीय समाज में जहां 80 फीसद लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं वहां एक आदर्श घर की अर्थव्यवस्था के केंद्र में एक गाय होती है, जो उसे सामान्य समय में ही नहीं, अकाल और दुर्भिक्ष के समय में भी सहारा देती है। कहते हैं देश का सुख और समृद्धि गौ.रक्षण के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए पुरातन संस्कृति में ऋषि मुनियों ने सांसारिक जीवन का त्याग किया लेकिन गौ का त्याग नहीं किया। कई सौ साल तक भारत पर राज करने के बाद मुगलों को भी इस बात का एहसास हो गया था कि भारतवर्ष में गाय बहुसंख्यक हिन्दू आस्था से जुड़ी हुई है। वहीं आजादी के बाद भी गाय हमेशा राष्ट्रीय मुद्दा रही है, खासकर चुनावों में।

महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सोमवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। सरकार ने देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा भी दे दिया है। इसके साथ.साथ सरकार ने देसी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत को भी मंजूरी दे दी है। देसी गाय की संकटग्रस्त नस्ल पुंगनूर को दुलारते हुए, हाल में पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। अब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का देसी गायों को लेकर प्रेम छलका है। वैदिक काल से चले आ रहे गायों के महत्व पर विचार करते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके सोमवार को देसी गायों को *'राज्यमाता गोमाता'* का दर्जा दिया है।

ऐतिहासिक महत्व के साथ.साथ जिन कारकों को आधार पर देसी गायों को *'राज्यमाता गोमाता'* का दर्जा दिया गया है, उनमें मानव पोषण में देसी गाय के दूध के महत्व, आयुर्वेदिक और पंचगव्य उपचार एवं जैविक खेती में गाय के गोबर का उपयोग शामिल है। राज्य कृषि, डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य विभाग द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव में यह बात कही गई है। कहा कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान हैं। इसलिए, हमने इन्हें *'राज्यमाता गोमाता'* का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हम गोशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन.पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने जा रहे हैं। गोशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती थीं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

गायों की सब्सिडी योजना को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ऑनलाइन लागू करेगा। हर जिले में एक जिला गोशाला सत्यापन समिति बनाई जाएगी। गायों की सब्सिडी योजना को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ऑनलाइन लागू करेगा। हर जिले में एक जिला गोशाला सत्यापन समिति बनाई जाएगी।

मिली जानकारी अनुसार 2019 में हुई 20वीं पशुगणना के अनुसार महाराष्ट्र में देसी गायों की संख्या 46,13,632 थी।

पीएम मोदी पुंगनूर गाय के बछड़े को दुलारते आ चुके है नजर

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में गोरखनाथ मंदिर में की थी गौसेवा

चुनावों से पहले बड़ा फैसला

एक अधिकारी ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनावों से पहले आया यह फैसला भारतीय समाज में गाय के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में सदियों से गायों की अभिन्न भूमिका को उजागर करता है। यह निर्णय लेकर राज्य सरकार ने गाय के दूध के साथ.साथ इसके गोबर के कृषि लाभों को भी रेखांकित किया है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और बेहतर फसल उत्पादन सुनिश्चित करके मानव पोषण में योगदान देता। देसी नस्ल की गायों का डेयरी उद्योग में विशेष योगदान है। करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ने देसी गाय की 50 से अधिक नस्लों को सूचीबद्ध किया है। गाय की ये नस्लें स्थानीय जलवायु के अनुरूप खुद को ढालना जानती हैं और इन्हें बेहतर दुग्ध उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। देसी गायों की इन नस्लों में कृष्णा वैली, वेचुर गाय, लाल सिंधी, खलीर, पूर्णिया गाय, गंगातीरी, पोनवार, खेरीगढ़, केनकथा, बरगूर, कांगायम, पुंगनूर, बिंझारपुरी, कोसाली, बद्री, लद्दाखी गाय, गिर नस्ल, कांकरेज, मेवाती, राठी, साहीवाल और थारपारकर प्रमुखता से शामिल हैं।

एजेंसी देना है-

प्रतिष्ठित मासिक समाचार पत्र हलधर किसान/ इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म किसान प्लस टीवी पर कृषि क्षेत्र से जुड़े शोध, अनुसंधान, नई तकनिक, योजनाओं के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के समावेश के साथ नियमित रुप से प्रकाशित हो रहा है।

अगर आप भी कृषि पत्रकारिता में रूचि रखते है तो हमारे न्यूज चैनल सहित अखबार से जुड़ने के लिए हमारे वाट्सअप नंबर(88174 02860) या हमारे प्रधान कार्यालय 598, वेगॉस मॉल, कार्पोरेट बिल्डिंग, एस.14 द्वारका साउथ वेस्ट, नई दिल्ली 110075 या मप्र में 762, बीज भंडार भवन, न्यू नूतन नगर खरगोन में संपर्क कर सकते है।

हरित के बाद श्वेत क्रांति की ओर बढ़ता निमाड़:

उज्जैन में खुलेगा एमपी का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज, डेयरी व्यवसाय को मिलेगा बढ़ावा

हलधर किसान

उज्जैन। प्रदेश में सिंचाई के साथ ही अन्य खेती- किसानी हितैषी योजनाओं से हरित क्रांति के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा निमाड़ अब श्वेत क्रांति की ओर भी आगे बढ़ने की तैयारी में जुट गया है। सबकुछ ठीक रहा तो जल्दी ही उज्जैन में एमपी का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज खुलेगा, जिससे डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने उज्जैन में प्रदेश में पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज का निर्माण 46 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य में

डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

पंचायत स्तर पर स्थापित की जाएगी दुग्ध सहकारी समिति

मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत डेयरी उत्पादन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, मशीनीकरण व उच्च स्तरीय मानव संसाधन प्रबंधन किया जा रहा है। दुग्ध संघ समितियों एवं दुग्ध उत्पादक किसानों के कल्याण, आय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, दुग्ध संकलन को दोगुना करना, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मध्यप्रदेश दुग्ध फेडरेशन के समझौते का उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया। उज्जैन दुग्ध संघ की 43वीं वार्षिक साधारण सभा में दुग्ध समितियों एवं दुग्ध उत्पादकों की प्रमुख मांग दूध के प्रति किलो फैट के भाव में वृद्धि किये जाने की मांग को पूरा करते हुए 20 रुपये प्रति किलो फैट की वृद्धि की गई। वृद्धि के बाद नये भाव 740 रुपये प्रति किलो फैट होंगे।

संभागायुक्त एवं प्रशासक दुग्ध संघ गुना ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता का दूध एवं दुग्ध के उत्पाद के निरन्तर उपलब्ध कराने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा दुग्ध संघ को सर्वोच्च श्रेणी 'ए+' प्रदान की गई है। इसी क्रम में इंडियन डेयरी एसोसिएशन पश्चिम क्षेत्र द्वारा नागपुर में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ को बेस्ट डेयरी प्लांट की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है।

डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा

सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की आय, आय में वृद्धि, प्रदेश में नई श्वेत क्रान्ति लाने, उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन की लाभप्रदता की वृद्धि, डेयरी टेक्नोलॉजी उच्च कौशल प्राप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और डेयरी टेक्नोलॉजी में आधुनिकता लाने के लिये शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। श्री गुप्ता ने कहा उनत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिये दुग्ध संघ राज्य सरकार की कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं मैत्री योजना अंतर्गत 211 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन कर रहा है।

खाद,बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी : मुख्यमंत्री डॉ.यादव

भोपाल। रबी सीजन में किसानों को खाद,बीज की कमी नहीं रहे। इसके लिए अभी से ही खाद,बीज के भण्डारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए। प्रदेश में खाद,बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाई सुनिश्चित की जाए। यह सख्त निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित सम्बल भवन में खाद,बीज की उपलब्धता और वितरण स्थिति की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त मोहम्मद सुलेमान तथा अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में फसलों के बोने के क्षेत्र चिन्हित कर आवश्यकतानुरूप खाद,बीज की व्यवस्था करें। अक्टूबर,नवम्बर माह में खाद,बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों एवं जिलों के अधिकारियों के साथ खेड़िये कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद,बीज की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की जाएगी।

डीएपी का आवंटन बढ़ा

बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा डीएपी का आवंटन बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है, जबकि रबी 2024-25 के लिए 6 लाख मीट्रिक टन डीएपी के आवंटन की सहमति दी गई थी। डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए, जिससे खरीफ 2024 में डीएपी की कमी परिलक्षित नहीं हुई। डीएपी की कमी की पूर्ति के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं एसएसपी उपलब्ध है।

उद्योगपतियों के साथ कि राउंड टेबल काफ्रेंस

मुख्यमंत्री डा. यादव ने सागर में चौथे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान शामिल उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल कॉफ्रेंस में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसर और चुनौतियों के संबंध में चर्चा की। उन्होंने उद्यमियों से संवाद में नवीन निवेश प्रोत्साहन नीति अनुसार समय सीमा में सभी सुविधाएं व स्वीकृतियां उपलब्ध कराने के साथ ऑनलाइन प्रदत्त सुविधा और आसानी से जमीन आवंटन के संबंध में जानकारी दी।

प्रमुख सचिव उद्योग राघवेन्द्र कुमार सिंह ने प्रदेश की नवीन उद्योग नीति से अवगत कराया। साथ ही आसान प्रक्रिया के जरिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। उद्योगपतियों ने भी प्रदेश की निवेश पॉलिसी की सराहना की। गुड़गांव से आए उद्योगपति ने मुख्यमंत्री डॉ.यादव का सम्मान भी किया।

टेक्सटाइल्स उद्योग से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की भांति प्रदेश में भी नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति तैयार की गई है। प्रदेश में हर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पर उद्योगपतियों की समस्याओं का निराकरण होगा। उन्होंने स्टार्ट-अप उद्यमियों से भी चर्चा की। टेक्सटाइल्स के महत्व और बिजनेस की कठिनाइयों के निवारण पर भी संवाद किया गया। उद्योगपतियों से शासन की नीति और सुविधाओं का लाभ लेकर व्यवसाय बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने का आग्रह किया गया।

सरकार ने गैर.बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया, व्यापारियों ने की सराहना

हलधर किसान व्यापार

कोलकाता। केंद्र सरकार ने गैर.बासमती सफेद चावल के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। निर्यातकों ने इस फैसले का स्वागत किया। घरेलू बाजार में चावल की उपलब्धता और कीमतें नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने जुलाई 2023 में निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। चावल निर्यातक कंपनी राइस किंग के सीईओ सूरज अग्रवाल ने कहा कि गैर.बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का भारत का सामयिक निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर है। इस रणनीतिक कदम से निर्यातकों की आय बढ़ेगी। साथ ही किसान भी सशक्त होंगे क्योंकि उन्हें आगामी खरीफ फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। एक अन्य चावल निर्यातक हलदर ग्रुप के केशव केआर हलदर ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की। वह गैर.बासमती चावल पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग कर रहे थे।

निर्यात शुल्क घटकर 10 फीसदी हुआ

केंद्र सरकार ने उसना चावल पर निर्यात शुल्क में 10 फीसदी की कटौती की है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, उसना चावल पर निर्यात शुल्क को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। भारत इस चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने 2023 में उबले चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाया था क्योंकि इसकी फसल सामान्य से कम बारिश से प्रभावित हुई थी। देश में चावल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गैर.बासमती सफेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई 2023 से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले से नेपाल, सेशेल्स, मलेशिया, फिलीपींस, कैमरून, कोट डी आईवरी और गिनी रिपब्लिक को फायदा होने की उम्मीद है।

स्थगन की संस्कृति को बदले तारीख पर तारीख संस्कृति को बदलें...

प्रेषक :- बरखा विवेक बड़जात्या जैन बाकानेर, जिला धार मध्य प्रदेश

महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के विचार भारतीय न्याय व्यवस्था के अति विचारणीय पहलू पर ध्यान आकर्षित करते हैं। किसी भी न्याय प्रणाली की असली परीक्षा यह है कि वह न्यायालय को सत्य की खोज करने में सक्षम बनाएं वहीं प्राचीन भारत इस परीक्षा में सबसे ऊपर रहा है, प्राचीन महान न्यायवीद कत्यायन कहते हैं ''साक्षी के बयान देरी से नहीं होना चाहिए क्योंकि देरी से याददाश्त कमजोर होती है और कल्पना शक्ति बढ़ती है वह देरी से बहुत बड़ी बुराई होती है गवाह कानून से दूर हो जाते हैं''

वर्तमान परिपेक्ष में देखा जाए न्यायालयों मे 4.7 करोड़ लंबित मामले लचर न्याय व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। परिणाम स्वरूप असली गुनहगार कानून के हाथों से दूर हो जाता है और निर्दोष अपने समय और धन की हानि करते हुए न्याय रहित रह जाता है।

परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारतीय आम जनता का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है, जो कि वर्तमान की न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत ब्रिटिश शासन से उत्पन्न नहीं हुआ है प्राचीन भारत में भी इसे पूरी तरह समझा और लागू किया गया था, कात्यायन एवं सभी विधि निर्माताओं ने न्यायाधीशों के स्वतंत्र और राजा से भी निडर होने के सर्वोच्च महत्व पर जोर दिया था, जो की वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे एक अपवाद स्वरूप प्रस्तुत होता है।

संपादकीय

जब बात संविधान के अक्षरश: पालन की आती है,, और निर्णय असत्य को प्रदर्शित करते है..तो प्राचीन महान न्यायवीद बृहस्पति ने कहा है ''न्यायालय को केवल शास्त्र के अक्षर का पालन करके अपना निर्णय नहीं देना चाहिए क्योंकि यदि निर्णय पूरी तरह से तर्क रहित है तो इसका परिणाम अन्याय ही होगा। अत: निर्णय निष्पक्षता एवं सतर्कता से होने चाहिए''

देखा जाता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा वर्तमान में कई तरीकों से प्रशिक्षित करती है अत: कानूनी अध्ययन का आधार भी भारतीय न्याय शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में इसे विधि स्नातक की डिग्री के लिए अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना चाहिए।

प्रत्येक न्यायालय को अपने नैतिक दायित्व धर्म, सत्य एवं न्याय का सम्मान करते हुए त्वरित एवं निष्पक्ष निर्णय की कार्यवाही पर जोर देना चाहिए तथा तारीख पर तारीख की संस्कृति को बदलना चाहिए।

दीपावली तिथि को लेकर संशय: 1 नवंबर को मनाना शास्त्र सम्मत

हलधर किसान

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी)

अजमेर

अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व। दीपावली तिथि हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश, मां सरस्वती और कुबेर जी की विधि.विधान से पूजा.अर्चना की जाती है। मान्यता है कि दीपावली के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण के लिए आती है। इस साल दिवाली की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, लोग 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की तिथि को लेकर लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि असल में दीवाली इन दोनों तिथि में से किस दिन मनाई जाएगी।

ज्योतिषाचार्य डॉ. सुदीप जैन (सोनी) अजमेर ने बताया पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6 बजकर 18 मिनट पर समाप्त होगी। मां लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5 बजकर 36 मिनट से शाम 6 बजकर 16 मिनट तक बन रहा है। ऐसे में दीप पर्व 1 नवंबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत होगा। मनाई जाएगी। वहीं धनतेरस 29 अक्टूबर, छोटी दीवाली यानि नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर, दीपावली यानि लक्ष्मी पूजा 1 नवंबर, गोवर्धन पूजा 2 नवंबर और भैया दूज 3 नवंबर को है।

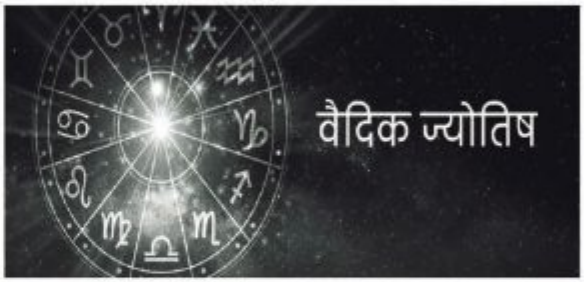

ये रहा बड़ा कारण

इंदौर में पंडितों व ज्योतिषाचार्यों के बीच हुई चर्चा के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि दीपावली एक नवंबर को ही भव्यता के साथ मनाई जाएगी। शास्त्रों के मुताबिक, प्रदोष की अमावस्या के दिन दिवाली मनाना शुभ रहेगा। लेकिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन प्रदोष अमावस्या पड़ रही है, लेकिन 1 नवंबर को आयुष्मान योग और स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसलिए 1 नवंबर को दिवाली मनाने का फैसला किया गया है।

मध्यप्रदेश वैदिक और विद्वत परिषद के वैदिक आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि सम्मेलन में विद्वानों ने अपने.अपने मत रखे। 90 प्रतिशत से अधिक विद्वानों ने ये मत रखा कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। सभी तथ्यों को देखा गया है। देश में दो प्रकार के पंचांग प्रकाशित होते हैं। एक दृश्य गणित पर आधारित पंचांग और दूसरा लाघव पद्धति पर आधारित पंचांग। एक ट्रेडिशनल तो दूसरा कम्प्यूटराइज्ड है। ट्रेडिशनल पंचांगों की संख्या 7 या 8 है। वहीं कम्प्यूटराइज्ड पंचांगों की संख्या देशभर में 150 से अधिक है। सभी कम्प्यूटराइज्ड पांचांगों का कहना है कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना धर्म शास्त्र अनुसार उचित है।

दीपावली का त्योहार सनातन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे देशभर में बड़े ही धूम.धाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को भगवान राम 14 साल के वनवास काटने के बाद और रावण का वध करके वापस अयोध्या आए थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। इसके साथ ही दिवाली पर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की करने का विधान होता है।

वर्ग पहेली-6

बाएं से दाएं

1. बेवक्त (4)
3. हार (4)
5. तेवर (4)
6. चीज (4)
8. तीन क्षार. सज्जी, शोरा, सुहागा (4)
10. माफी मांगने वाला (4)
12. स्तर का (3)
14. पोषण करने वाला (3)
16. नाव खेने का साधन (4)
18. असम्मान (4)
19. शरीर, काया (2)
20. बगुला (2)
22. कांटों वाला एक बड़े आकार का फल/सब्जी (4)
23. शिल्प, कौशल, दस्तकारी (3)

ऊपर से नीचे

1. निर्धन (5)
2. शहद (5)
3. परीक्षा देने वाला (4)
4. पुत्र (3)
7. कम गति का (2)
9. रांगा (3)
10. नाश, यक्ष्मा (2)
11. नैसर्गिक (3)
13. मुग्ध होना (3)
14. उंगली के आगे का हिस्सा (2)
15. क्लेश करने वाला (5)
16. एक प्रकार की सब्जी (4)
17. भवन निर्माण का भारतीय पारंपरिक विज्ञान (2)
18. ज्यादा (3)
21. पार्वती (2)

१		२		■	३			४
	■		■	५		■	■	
६		■	७	■	८		९	
	■	१०		११		■		■
१२	१३		■		■	१४		१५
■		■	१६		१७		■	
१८				■		■	१९	
	■	■	२०		■	२१	■	
२२				■	२३			

वर्ग पहेली 5 का सही उत्तर

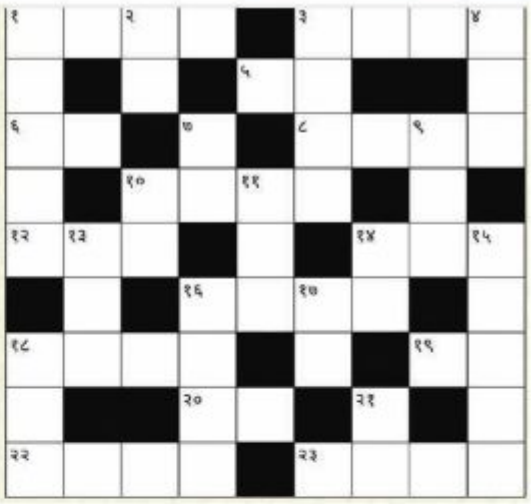

१ भा	न्य	२ शा	ली	■	■	३ न	■	४ स
ल	■	र	■	५ मु	द्र	र	पू	र्व
६ चं	डी	दा	७ स	■	■	पुं	■	हा
द्र	■	■	८ म	हा	९ भा	ग	■	रा
■	१० ब	११ रा	त	■	१२ द्व	य	म	■
१३ दे	■	१४ ज	ल	कू	प	■	■	१५ प्रा
व	■	नी	■	■	१६ द	१७ य	नी	य
१८ रा	ज	ति	ल	क	■	ती	■	श्चि
ज	■	क	■	■	१९ स	म	वे	त

धोखा : कंपनी के कहने पर किसानों ने लगाए थे बांस, फसल पकने पर लापता हुई कंपनी

हलधर किसान

देवास। मध्य प्रदेश में 'एक जिला, एक उत्पाद' योजना के तहत देवास और हरदा जिलों में एक निजी कंपनी से बांस का एग्रीमेंट करना किसानों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है।

अब किसानों की शिकायत है कि आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने बांस लगाने और खरीदने का आश्वासन देकर एग्रीमेंट किए थे, लेकिन कंपनी के कर्ताधर्ता पिछले छह महीनों से गायब हैं, जिससे किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

कंपनी को 2019 में मप्र सरकार द्वारा देवास और हरदा जिलों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया था। आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किसानों को बांस लगाने के लिए एग्रीमेंट किया, जिसमें 40 साल तक या बांस की आयु पूरी होने तक कंपनी को प्रति मीट्रिक टन 2550 रुपए पर बांस खरीदने का वादा किया गया था। किसानों ने कंपनी पर विश्वास किया और बांस की खेती में भारी निवेश किया, लेकिन अब जब फसल तैयार हो गई है, तो कंपनी के अधिकारी लापता हो गए हैं।

वन विभाग का ढुलमुल रवैया

इस पूरे मामले में सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के अफसर अब भी कंपनी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि किसानों की हालत दयनीय है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कंपनी घाटे में है, इसीलिए वह बाजार से गायब है। यह स्थिति तब है जब सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को बांस उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया गया और कंपनी को सरकारी बैठकों में विशेष स्थान दिया गया।

किसानों की मुसीबतें बढ़ी

किसानों का कहना है कि उन्होंने वन विभाग और कंपनी पर भरोसा कर अपनी जमीन पर बांस लगाए थे, लेकिन अब उनके लिए यह फसल बोझ बन गई है। आर्टिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के लापता होने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, बल्कि उनकी मेहनत भी बेकार हो गई है। सरकार की योजनाओं और निजी कंपनियों के साथ किए गए एग्रीमेंट के प्रति अब किसानों का भरोसा डगमगाने लगा है।

सरकारी योजना पर सवाल

इस घटना ने एक जिला, एक उत्पाद जैसी सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्टिसन एग्रोटेक जैसी कंपनियों को बिना सही जांच-पड़ताल के ब्रांड एंबेसडर बनाना और सरकारी बैठकों में शामिल करना, सरकार की नीतियों की विफलता को दर्शाता है। अगर जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में अन्य योजनाओं के प्रति किसानों का विश्वास और भी कम हो सकता है।

सरकार और संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। साथ ही, किसानों को उनका उचित मुआवजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके।

कंपनी को हुआ घाटा

इस मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक यूके सुबुद्धी का कहना है कि शिकायत मिल रही हैं। हमने कंपनी के लोगों से बात की तो उन्होंने कंपनी के घाटे में जाने की बात कही है, इसलिए शायद अभी वे चले गए। हम इस मामले की जांच करवा रहे हैं।

प्रखर वक्ता, संगठन की सेवा के लिए सर्वदा तत्पर रहते है श्री दुबे...

सादगी से मना वरिष्ठ पत्रकार एवं जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष का जन्मदिन

इंदौर। जागरुक कृषि आदान विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित समाचार पत्र हलधर किसान, किसान प्लस टीवी के जिला संवाददाता श्रीकृष्णा दुबे का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया गया। श्री दुबे को जन्मदिन पर कृषि आदान विक्रेता संघ सहित बीज कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिष्ठान पर पहुंचकर श्री दुबे को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई दी। इस दौरान कई व्यापारियों ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। सुबह से शाम तक श्री दुबे के प्रतिष्ठान पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पुष्पमालाओं से उनकी रंगीन शर्ट गेंदे के पीले रंग में रंग गया। श्री दुबे को पंचगंगा बायोटेक एवं पंचगंगा सीड्स कम्पनी केसी एंड एफ वितरक, केरल के अधिकृत विक्रेता सुनील नाहर,, विकास नाहर, संतोष मौर्य, श्रीजोती बीज भंडार के समस्त सहयोगी साथियों, सोमनाथ कंपनी गुजरात के अनिल भाई, आयुष शर्मा, कृषि आदान विक्रेता संघ रतलाम अध्यक्ष मनोज बोरणा, शाजापुर कृषि आदान विक्रेता संघ के अध्यक्ष परमानंद पाटीदार ने प्रतिष्ठान पर पहुंचकर श्री दुबे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान शुभचिंतकों ने कहा कि प्रखर वक्ता, कर्मठ, नेतृत्व प्रतिभा के धनीए संगठन की सेवा के लिए सर्वदा तत्पर रहने वाले श्री दुबे हमेशा किसानों और कृषि व्यापारियों के हितों के लिए चिंतित रहते है। हम उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने के साथ ही हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने की कामना करते हैं। ऑल इंडिया एग्री इनपुट्स डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी, प्रदेश महामंत्री विनोद जैन ने सोशल मीडिया के जरिये शुभकामना संदेश दिए।

रिटायरमेंट के बाद किसान और व्यापारी हित में अपने अनुभवों का लाभ दे रहे श्री सिंह

बीज कानून पाठशाला पुस्तक के लिए हिसार बीज उत्पादको ने उन्हें बीज कानून रत्न से किया सम्मानित

इंदौर (शख्सियत)। जिस तरह पतझड़ के बाद वसंत आता है, उसी तरह शासकीय कर्मचारी के जीवन में नौकरी से अवकाश याने सेवानिवृत्ति आती है। सेवानिवृत्ति के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, कुछ लोग जहां अपनी सेवानिवृत्ति परिवार के नाम कर देते है तो कई ऐसे लोग होते है जो अपने सेवाकाल के अनुभव को सेवानिवृत्ति में भी लोगों के काम आए इसके लिए समर्पित कर देते है। ऐसे ही विरले लोगों में शामिल है।

आरबी सिंह जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन नई दिल्ली के एरिया मैनेजर रह चुके हैं। श्री सिंह अपनी बीज कानून पाठशाला नामक आर्टिकल को लेकर चर्चाओं में है। इन्होंने आसान और सरल शब्दों में जो आर्टिकल तैयार किया है, उससे न केवल व्यापारी बल्कि किसानों को भी कहीं न कहीं इसका लाभ मिल रहा है। श्री सिंह से हलधर किसान के इंदौर संवाददाता श्रीकृष्ण दुबे ने मुलाकात कर उनके अनुभव को अपने शब्दों में प्रकाशित कर पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। श्री दुबे के मुताबिक श्री सिंह वे शख्सियत है जो निः स्वार्थ भाव से बीज व्यापारियों को न केवल कानूनी ज्ञान दे रहे है बल्कि अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज के प्रचार, प्रसार में अपनी सेवानिवृत्ति का समय बीता रहे है जो सराहनीय और अनुकरणीय है। बीज कानूनों को बारीकि से जानने वाले वाले श्री सिंह ने अपने अनुभव को बीज उद्योग एवं बीज निरीक्षक, बीज उद्योग एवं बीज नियामक के अलावा बीज कानून मंत्र विषय पर बीज कानून नामक तीन पुस्तकें लिखी हैं, जिनके माध्यम से व्यापारियों को कानूनी बारिकियां जानने- समझने का मौका मिल रहा है। श्री सिंह के इस समर्पण भाव को देखते हुए हिसार बीज उत्पादको ने उन्हें बीज कानून रत्न से सम्मानित भी किया है।

कृषि आदान विक्रेता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री से मुलाकात के दौरान अपनी लिखित पुस्तकें दिखाते श्री सिंह

उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद ने बीज प्रमाणीकरण अधिनियम 1966 बीज प्रमाणीकरण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए पारित किया था। इस अधिनियम के तहत बीज नियमों को 1968 में व्यवस्थित और अधिसूचित किया गया और 1969 में भारत में व्यवस्थित बीज प्रमाणन शुरू किया गया। इस अधिनियम में बीज से संबंधित मामलो में राज्यों को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय बीज समिति की स्थापना का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा राज्यों में बीज प्रमाणन एजेंसियों/ बीज प्रमाणीकरण बोर्ड और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं की स्थापना के लिए प्रस्ताव भी दिया गया है।

बीज कानून पाठशाला में है महत्वपुर्ण जानकारी

श्री सिंह बताते है कि शासन स्तर पर बने बीज कानून में कई कानूनी पहलू है, जिन्हें व्यापारी जानते नहीं, नतीजतन कई बार विभागीय कार्रवाई में उलझना भी पड़ता है। मेरा मानना है कि किसान को अच्छा बीज मिले, व्यापारी को भी बीज उत्पादन से लेकर बिक्री और उसे दुकान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया जानना जरूरी है। यदि यह जानकारी होगी तो किसान को भी उन्नत बीज मिलेंगे और व्यापारी भी निडर होकर व्यापार कर सकेंगे। रिटायर्ड होने के बाद श्री सिंह ने बीज कानून पाठशाला के नाम से कृषि आदान व्यापारियों के लिए बीज व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां गुगल साइट पर अपलोड कर रखी है।

घर की दीवारों पर उग आते हैं पेड़.पौधे तो छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये तरीके

हलधर किसान

डेस्क- अक्सर आपने देखा होगा, जब घर पुराने हो जाते हैं तो दीवारों पर पेड़ और पौधे उगने लगते हैं। बार.बार साफ करने के बाद भी यह फिर से उग जाते हैं। ज्यादातर बारिश के दिनों में यह परेशानी बनने लगे है। यह घर की खूबसूरती को खराब करने के साथ ही दीवारों को नुकसान भी पहुंचा सकते है। ऐसी स्थिति में आपको ना सिर्फ पेड़.पौधों को जड़ से निकालना होगा बल्कि इसकी सफाई भी अच्छे तरीके से करनी होगी।

कई बार इन दीवारों में काई जम जाती है, जिसकी वजह से भी पेड़.पौधे उगने लगते हैं। समय पर इसका उपाय नहीं किया गया तो यह परेशानी को और बढ़ा देते हैं। अगर आपके भी घर की दीवारों में पेड़.पौधे उग आए तो हम यहां बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स, जिसे आप ट्राई कर सकती हैं। यही नहीं इन टिप्स की मदद से दीवारों को सुरक्षित भी कर सकती हैं।

पेड़.पौधों को निकालकर फेंके

जब भी आपको घर के दीवारों के बीच से पेड़.पौधे पनपते हुए नजर आएं, उसे तुरंत निकालकर फेंक दें। पेड़.पौधों को निकालने के बाद वहां जब जगह खाली बच जाए तो उसे मिट्टी से भर दें। कोशिश करें कि उस जगह को एक बार अच्छी तरह चेक कर लें कहीं वहां काई तो नहीं जमी हुई है। अगर काई जमी हुई है तो उस स्थान को रेत से साफ कर दें। सफाई करने के बाद बचे हुए रेत को वहां शिफ्ट कर दें, जहां से आप ने पेड़.पौधों को निकाला है।

ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल

पेड़.पौधों को निकालने के बाद उस जगह पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब भी दीवारों से पेड़.पौधे पनपते हुए नजर आएं आप वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। दरअसल, जड़ों में ब्लीचिंग पाउडर डालने से पौधे नष्ट हो जाएंगे और वापस फिर नहीं पनपेंगे। कोशिश करें कि ऐसा आप शुरुआत में ही कर दें, क्योंकि एक बार पेड़.पौधे बड़े हो गए तो उसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है।

मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करें

कई बार घर की दीवारों से बड़े पेड़ उग आते हैं, जिन्हें एक बार काटने के बाद दोबारा उग आते हैं। ऐसी स्थिति में आप मिट्टी का तेल पेड़ के जड़ के पास गिरा दें। कुछ दिनों में पेड़ सूख जाएंगे और फिर इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने की वजह से वहां वापस से पेड़.पौधे नहीं आएंगे। हालांकि, आपको यह चेक करते रहने होगा, अगर दोबारा पेड़.पौधे उग आते हैं तो वापस से मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करें।

5 प्रतिशत बढ़ी महिला श्रमिकों की संख्या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में हुआ खुलासा

हलधर किसान

नई दिल्ली। भारत में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है और महिला श्रमिकों की संख्या खास तौर पर ज्यादा गति से आगे बढ़ी है, इसको लेकर जो आंकड़ा आया है वो खास तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि महिलाएं अब जमकर बाहर निकल रही हैं और देश के रोजगार की तस्वीर में भी अपनी अहम जगह बनाने में कामयाब हो रही है।

सांख्यिकी मंत्रालय की ताजा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण . वार्षिक रिपोर्ट, जुलाई 2023 . जूनए 2024,) रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में ये पाया गया है कि भारत में लेबर फोर्स का स्वरूप बदल रहा है और महिला वर्करों की भागीदारी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है।

सर्वे रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है की 15 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की भारत के लेबर फोर्स में भागीदारी जुलाई, 2022.23 में 37 प्रतिशत थी जो 2023.2024 में बढ़कर 41.7 फीसदी हो गई, यानि एक साल में महिला वर्करों की संख्या में करीब 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक 15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में 2017.18 में 48.1 प्रतिशत से बढ़कर 2023.24 में 62.1 प्रतिशत हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43.9 प्रतिशत से बढ़कर 49.4 प्रतिशत हो गया। भारत में पुरुषों के लिए 2017.18 में 71.2 प्रतिशत से बढ़कर 2023.24 में 76.3प्रतिशत हो गया और महिलाओं के लिए में वृद्धि 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गई।

7 साल में बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत हुई

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017.2018 से 2023.2024 के बीच 7 साल में बेरोजगारी दर 6प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई। अगर 2022.2023 से 2023.2024 के बीच बेरोजगारी दर को देखें तो वह 3.2 फीसदी को रेट पर स्थिर है।

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये भी खुलासा हुआ है कि पिछले सात साल में 15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के श्रम बल सहभागिता दर यानि काम करने या काम के लिए उपलब्ध लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि देश में सैलरी वाले श्रमिकों की कमाई रीएल एग्लाईड के अनुपात में ज्यादा बढ़ी है।

4 अक्टूबर तक करा सकते हैं धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन

इंदौर। खरीफविपणन वर्ष 2024.25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए जिले में कुल 11 किसान पंजीयन केन्द्र बनाएं गये है। इन केन्द्रों पर किसान धान, ज्वार एवं बाजरा का पंजीयन 04 अक्टूबर 2024 तक करा सकते हैं। पंजीयन केन्द्रों पर शासकीय कार्य दिवस रविवार एवं शासकीय अवकाश को छोड़कर पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर तथा एमपी किसान एप पर भी की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। बनपट्टाधारी व सिकमी बटाई वाले किसान धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए जिलेवार पंजीयन केंद्र बनाए गए है, जहां पर पंजीयन करा सकते है।

क्या होती है पॉलीहाउस खेती ? विश्व के 50 देशों में किया जा रहा है ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकी का प्रयोग

इस आधुनिक तकनीक से हर मौसम में उगाएं सब्जियां

हलधर किसान

पॉली हाउस को आम भाषा में ग्रीनहाउस खेती बोलते हैं। यह एक प्रकार की घर जैसा करके खेती करा जाता है, जिसमें फुल से लेकर सब्जियों तक की खेती की जा सकती है। पॉलीहाउस फार्मिंग को प्लास्टिक की छत के नीचे किया जाता है। ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकी का प्रयोग विश्व के 50 देशों में किया जा रहा है। परंपरागत कृषि में किसान मौसम के अनुरूप फसलें उगाते हैं। इस स्थिति में किसान वायुए तापमानए प्रकाश और आर्द्रता पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकी में इन सभी समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत को एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और यहां के अधिकतर लोग कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहां फसलों का उत्पादन प्राकृतिक मानसून पर निर्भर होता है, जिसके कारण यहां कभी.कभी पैदावार काफी अच्छी हो जाती है और कभी.कभी उत्पादन बिलकुल न के बराबर होता है। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए वर्तमान में किसानों द्वारा पॉली हाउस के माध्यम से तकनीकी रूप से कृषि करने लगे है।

फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए पॉली हाउस अत्यधिक कारगर सिद्ध हुआ है। आज देश के प्रत्येक कोने मे किसानों द्वारा फसलों के उत्पादन में पॉली हाउस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉली हाउस क्या होता है? इसके बारें में जानकारी देने के साथ ही आपको यहां खर्च के बारें में पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहे है।

पॉलीहाउस एक प्रकार का ग्रीनहाउस है, जहां विशेष प्रकार की पॉलीथिन शीट का उपयोग कवरिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसके तहत फसलों को आंशिक रूप या पूरी तरह से नियंत्रित जलवायु परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। आधुनिक समय के पॉलीहाउस जीआई स्टील फ्रेम पर बने होते हैं और प्लास्टिक से ढके होते है, जो एल्युमीनियम ग्रिपर के साथ फ्रेम पर फिक्स होते हैं। कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सफेद प्लास्टिक की फिल्म उच्च गुणवत्ता की होती है, पॉलीहाउस के अंदर पानी देने के उद्देश्य से ज्यादातर ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित की जाती है।

दूसरे शब्दों में, वर्तमान समय में आधुनिक ढंग से कृषि करनें अर्थात फसलों को उगानें के लिए एक विशेष प्रकार की पालीथीन या चादर से ढका हुआ घर होता है। इस घर के वातावरण को फसलों अनुकूल कर हर मौसम में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। पॉली हाउस में बाहरी वातावरण का प्रभाव नही पड़ता है। पॉलीहाउस को ग्रेहनेट हाउस, ग्रीन हाउस और नेट हाउस आदि नामों से भी जाना जाता है। दरअसल पॉलीहाउस खेती का एक आधुनिक तरीका है, जिसमें हम हानिकारक कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अधिक उपयोग के बिना उच्च पोषक मूल्यों के साथ अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।

इसमें किसान पौधे की जरूरत और बाहरी जलवायु परिस्थितियों के अनुसार तापमान और आर्द्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकते है। पॉलीहाउस पौधों को लगातार बदलते मौसम गर्मी, धूप और हवा जैसी जलवायु परिस्थितियों से बचाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। यह पौधों को वर्ष के किसी भी समय बढ़ने में मदद करता है। पॉलीहाउस खेती में उपज को प्रभावित करने वाले हर कारक को नियंत्रित किया जा सकता है।

फायदे की तकनीक है पॉलीहाउस में खेती

आपको बता दें कि पॉलीहाउस यानी संरक्षित ढांचे में सब्जियों की खेती करने के जितने लाभ गिनाए जाए उतने कम है। ग्रीनहाउस पद्धति में खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप मौसमी और बेमौसमी सब्जियों को बेहद आसानी से उगा सकते हैं।

पॉलीहाउस में खेती करने से फसल में कीट और बीमारियों की संभावना तो कम रहती ही हैए साथ ही इसमें रसायनों और उर्वरकों की भी कोई खास जरूरत नहीं होती। सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जैसी कम लागत के जरियें से भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उपज ले सकते हैं।

पॉलीहाउस में क्या उगाए?

वर्तमान में ज्यादातर किसान पॉलीहाउस में टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च की खेती को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग साल्भर बाजार में बनी रहती है। इनके अलावा, पत्तेदार सब्जियां, कद्दू वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियां और टमाटर वर्गीय सब्जियां पॉलीहाउस में लगाकर भी आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। पॉलीहाउस में किसान ऑफ सीजन सब्जियों सब्जी के साथ गेंदा, जरबेरा, गुलदाउदी, रजनीगंधा, कारनेशन, गुलाब, एन्थूरियम आदि फूलों की खेती भी कर सकते है। इस संरक्षित ढांचे मे खेती करने से गुणवत्ता और उत्पादकता तो बढ़ेगी ही साथ ही इसके जरिए खुले खेतों के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा पैदावार और आमदनी प्राप्त कर सकते है।

भारत में ग्रीनहाउस खेती तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है। पॉलीहाउस फार्मिंग से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ग्रीनहाउस एक महंगा मामला लग सकता है। हालाँकि, सरकारें सब्सिडी प्रदान करती हैं। यहां ग्रीनहाउस तकनीक, ग्रीनहाउस का निर्माण और रखरखाव के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

ग्रीनहाउस और पॉलीहाउस के बीच अंतर

ग्रीनहाउस किसी प्रकार की पारदर्शी सामग्री से बना होता है जिससे घर के अंदर सूक्ष्म जलवायु का निर्माण होता है। माइक्रोक्लाइमेट बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों जैसे कांच, लकड़ी, पॉलीथीन आदि का उपयोग ग्रीनहाउस कवर के रूप में किया जाता है।

पॉलीहाउस एक प्रकार का ग्रीन हाउस है जहां पॉलीथीन को कवर के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में निर्माण की कम लागत के कारण पॉलीहाउस खेती सबसे लोकप्रिय ग्रीनहाउस तकनीक है। लैथ हाउस एक अन्य ग्रीनहाउस तकनीक है जहाँ लकड़ी को आवरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

पॉली हाउस ग्लास हाउस या ग्रीनहाउस की तुलना में किफायती है लेकिन बाद में पॉलीहाउस की तुलना मे अधिक टिकाऊ होता है।

अच्छी आमदनी अर्जित करने के लिए अपने पॉली हाउस में उन्हीं सब्जियों की खेती करें, जिनकी मांग बाजार में अधिक हो या फिर बाजार में आपकी मांग का उचित भाव मिल सके।

सबसे जरूरी बात, पॉली हाउस या संरक्षित ढांचे का निर्माण उस स्थान पर करवायें, जहां से मंडी या बाजार निकट पड़ता हो। इससे उपज को बिक्री के लिए बाजार ले जाने में लागत कम आएगी और सब्जियों को सुरक्षित और आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सके।

भारत मे खेती.किसानी को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार की कंधे मे कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। इसलिए जिन किसान भाइयों ने संरक्षित खेती के लिए पॉली हाउस या ग्रीनहाउस लगाने की प्लानिंग कर ली है, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद देती है। भारत सरकार के कृषि से जुड़े उपक्रमों के तहत संरक्षित खेती की संरचना स्थापित करने में सभी राज्य सरकारों की तरफ से 50 प्रतिशत तक की छूट है। हालांकि राज्य सरकारों ने संरक्षित खेती के लिए अलग.अलग सब्सिडी का प्रावधान रखा है।

हमारे ज्यादातर किसान खेती.किसानी में नई तकनीकों को आर्थिक आर्थिक तंगी के चलते अपना नहीं पाते। लेकिन अब कृषि क्षेत्र में सरकार और कृषि वैज्ञानिकों के योगदान के चलते निश्चित होकर खेती करने का समय है।

इतना ही नहीं अगर खेती करने के आपके प्रोजेक्ट में जैविक या प्राकृतिक तौर.तरीके और बेमौसमी सब्जियों की खेती भी शामिल है तो आपको 50 प्रतिशत के साथ.साथ 25.30 प्रतिशत का अतिरिक्त राहत भी मिल सकती है। आर्थिक सहूलियत और राहत के चलते अब हमारे किसान कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान भाइयों को भी कृषि तकनीकों की तरफ रुख करने की प्रेरणा मिलेगी। पॉलीहाउस स्थापित करने में लगभग 750 रुपये से 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च आता है। लागत की सीमा सामग्री की गुणवत्ता, स्थान, आकार, आकार और संरचना जैसे कुछ कारकों पर निर्भर करती है। हम सहायक सामग्री के रूप में बांस, धातु के पाइप, लकड़ी आदि का उपयोग कर सकते हैं। स्टील और अन्य धातु के पाइपों में अन्य सामग्रियों की तुलना में अधिक स्थायित्व होता है। हालांकि पॉलीहाउस को स्थापित करना और उसका रखरखाव करना महंगा है, लेकिन अगर हम इसका उचित तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पॉलीहाउस कैसे तैयार करें

वैसे तो पॉलीहाउस आकार में तो एक ही तरह के होते हैं। आप पॉली हाउस को लोहे के पाइप या बांस का बनवा सकते हैं। लेकिन इनको बनाने मे आने वाली लागत व इनकी उम्र के आधार पर पॉलीहाउस दो तरह के होते हैं। निचे हम बात करेंगे की पॉलीहाउस कैसे तैयार करे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।

बांस से तैयार होने वाले पॉली हाउस

बांस से तैयार पॉली हाउस के ढ़ाचे को बनाने के लिए बांस का ही उपयोग किया जाता है। बांस के द्वारा पॉली हाउस का निर्माण करने से किसान को लागत बहुत कम आती है। इस तरह से तैयार पॉली हाउस उपकरण की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। बांस से तैयार पॉली हाउस को नेचुरल वेंटीलेटर पॉली हाउस भी कहा जाता है। क्योंकि इस तरह के पॉलीहाउस का तापमान बिना किसी उपकरणों के प्राकृतिक नियंत्रित होता है। बांस से बने हुए पॉली हाउस की उम्र कम होती है।

इन बातों का रखें खास ख्याल

घटती जोत और अधिक मुनाफे के चलते किसान भाइयों के लिए पॉलीहाउस आय सृजन का उत्तम स्रोत है। बेशक संरक्षित खेती में लाभ और उपज का प्रतिशत साधारण खेती की तरीकों से ज्यादा है। लेकिन संरक्षित खेती करने वाले किसानों को कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा।

. सर्दियों के समय सुरक्षा ढांचे के शेडनेट वाली पर्दों को दोपहर में 2.3 घंटे के लिए खोल देना चाहिये। ऐसा करने से नमी से पैदा होने वाले कीट.रोगों की संभावना कम होती है और फसल को भी सूरज के प्रकाश से पोषण मिल जाता है।

. पॉलीहाउस की नर्सरी में नमी के साथ.साथ पोषण की जरूरत होती है, इसलिए टपक सिंचाई के जरिए पानी में उर्वरकों का घोल बनाकर नर्सरी में दें, इससे नमी और पोषण दोनों की कमी पूरी हो जायेगी।

. पॉलीहाउस या ग्रीन हाउस को कटने.फटने से बचाने का प्रबंधन कार्य भी करते रहना चाहिये, क्योंकि खुली फसल में कीट.रोग जल्दी ही घर कर जाते है। कटे.फटे स्थान की सिलाई करें और समय.समय पर पॉलीहाउस की पॉली को बदलते रहें।

. पॉलीहाउस की गुणवत्ता का अच्छा होना बेहद जरूरी है क्योंकि सस्ते और जुगाड़ साधनों में मरम्मत का खर्चा ज्यादा आयेगा। इसलिए अच्छी गुणवत्ता का ढांचा ही आपको कम खर्च में अच्छा लाभ दे सकता है।

संरक्षित खेती से अगर आप अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो अच्छे रखरखाव की भी सख्त जरूरत होती है। ऐसे में सिंचाई के लिए अच्छा पानी, उत्तम भूमि, अच्छी किस्म के बीज, नर्सरी और तकनीक प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है।

संरक्षित खेती के लिए ढांचे या नर्सरी को 1.2 फीट ऊपर ही तैयार करें, जिससे वर्षा का पानी फसल को प्रभावित न करें जल निकासी भी सुनिश्चित हो सके।

लोहे के पाइप से तैयार पॉली हाउस

अगर कोई किसान लोहे के पाइप से पॉली हाउस का निर्माण करता है, तो इसमे बांस से बने पॉली हाउस की तुलना मे काफी ज्यादा खर्च आता है। क्योंकि पॉली हाउस का ढांचा को तैयार करने के लिए लोहे के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे वाले पॉली हाउस मे उपकरणों का खर्च भी काफी अधिक होता है। क्योंकि इस तरह के पॉलीहाउस मे तापमान को कृत्रिम तरीके से उपकरणों की मदद से तैयार किया जाता है। लोहे के पाइप से बने पॉली हाउस की उम्र की साल्वे तक की होती है।

पॉलीहाउस की लागत

1 बीघा में पॉलीहाउस का निर्माण करने मे 10 से 11 लाख रुपये की लागत आती है।

1 एकड़ में पॉलीहाउस लगवाने के खर्च या लागत पॉलीहाउस बनवाने का 1 स्क्वायर मीटर का सरकारी रेट 844 रुपये है।

1 स्क्वायर मीटर पॉलीहाउस निर्माण की लागत 1 स्क्वायर मीटर पॉलीहाउस निर्माण की लागत लगभग 1034 रुपये आती है।

पैरासिटामोल.बीपी सहित 50 से ज्यादा मेडिसिन क्वालिटी टेस्ट में फेल, क्या आप भी ले रहे यह दवाइयां? रहे सावधान

हलधर किसान

नई दिल्ली. आज के जमाने में सांस लेने के लिए हवा में प्रदूषण, पानी खराब, खाने.पीने की अधिकतर चीजों में मिलावट जहां हमारी सेहत खराब कर रही है, वहीं सेहत सुधार के लिए ली जाने वाली दवाईयां भी अब नकली और हानिकारक साबित हो रही है।

देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी

भारत की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन) ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें पैरासिटामॉल सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल पाई गई है। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन डी3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। हालांकि, कंपनियों ने अपने जवाब में दवाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा है कि ये नकली हैं। दवा निर्माताओं के जवाब वाले कॉलम में लिखा है कि वास्तविक निर्माता (लेबल क्लेम के अनुसार) ने बताया है कि प्रोडक्ट का यह बैच उनके यहां से तैयार नहीं किया गया है और यह एक नकली दवा है। प्रोडक्ट के नकली होने की बात कही जा रही है, हालांकि, इसकी जांच की जा रही है।

बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टैबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एंब्रोक्सोल, एंटी फंगल फ्लुकोनाजोल और कुछ मल्टी विटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी हैं।

ये दवाएं हेटेरो ड्रग्स अल्केम लेबोरेट्रीज हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं।

ऑर्गेनाईजेशन ने 48 दवाओं की सूची जारी की पेट के इंफेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी इस जांच में फेल हो गई है, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स की शेल्काल टैबलेट्स भी जांच में असफल रही।

कंपनियों ने झाड़ा पल्ला

जिन 53 दवाओं का क्वालिटी टेस्ट किया था, इनमें से 48 दवाओं की ही लिस्ट जारी की गई है। 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं हैं, बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही है। इसके बाद इन्हें लिस्ट से हटा दिया गया। इस रिपोर्ट में इन दवाओं के हर बैच को नहीं, बल्कि कुछ खास बैच को ही नॉट फॉर स्टैंडर्ड क्वालिटी का बताया गया है। फिर भी ये चिंता की बात तो है।

कहां हुई इन दवाओं की जांच?

सिक्किम, पुणे, बद्दी, हरिद्वार जैसी तमाम जगहों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाई गई इन सभी दवाओं की जांच कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, गुवाहाटी की लैब्स में की गई है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

केरल स्टेट यूनिट की रिसर्च सेल के चेयरमैन और नेशनल पद। कोविड टास्क फोर्स के को.चेयरमैन डॉ. राजीव जयदेवन ने कहा आर्गेनाईजेशन की जांच में कुछ दवाई नॉन स्टैंडर्ड पाई गई है। इसका मतलब है कि दवा में करेक्ट अमाउंट का कंपाउंड नहीं होगा। या कुछ एडल्टरेंट होगा या नकली दवा होगी। इस लिस्ट में कई ऐसी दवाइयां है, जो बड़ी कंपनियां बनाती हालांकि, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सारी दवाइयां नकली है।

अगस्त में 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये आमतौर पर बुखार और सर्दी के अलावा पेन किलर, मल्टी.विटामिन और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जा रही थीं। सरकार ने कहा कि इनके इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। इसलिए, देशभर में इन दवाओं के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक रहेगी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इन एफडीसी दवाओं में मौजूद इंग्रेडिएंट्स का कोई मेडिकल जस्टिफिकेशन नहीं है। एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवाएं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स एफडीसी कहलाती है, इन दवाओं को कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है।

बिना डॉक्टर की सलाह के न ले दवाई

एक स्टडी के मुताबिक, भारत में 66.4 प्रतिशत लोगों में खुद दवा लेने की आदत है। यानी वो बिना डॉक्टर की सलाह से दवा ले लेते है। इनमें से अधिकतर यानी 45 प्रतिशत बुखार, 40.1 प्रतिशत लोग खांसी और 31.8 प्रतिशत लोग जुकाम के लिए खुद ही दवा ले लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में एलोपैथी की दवाओं को 83.2 प्रतिशत लोग खुद ही ले लेते हैं। पैरासिटेमॉल तो सबसे आम है। बुखार होने पर 52 प्रतिशत लोग इसे खुद ले लेते है। जबकि 21 प्रतिशत लोग कफ का सिरप खुद से खरीदकर पीने लगते है। भारत में दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के भी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन, ऐसा करना अपनी सेहत से खेलने से कम नहीं है। डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि किसी को दवा लेनी चाहिए या नहीं। अगर दवा लेनी चाहिए तो कौन सी।

कैसे करें नकली दवा की पहचान?

ध्यान से देखने पर ये नकली दवाएं बिल्कुल असली जैसी ही लगती है, लेकिन अधिकतर मामलों में लेबलिंग में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इससे आप इन दवाओं की पहचान कर सकते है।

अगर आपने पहले यह दवा इस्तेमाल की है, तो पुरानी और नई पैकेजिंग की तुलना कर फर्क समझ जाएंगे।

कई मामलों में नकली दवाओं के लेबलिंग में स्पेलिंग या ग्रामर के एरर होते हैं, तो बहुत बारीकी से देखने पर पकड़ में आते हैं।

केंद्र सरकार ने शीर्ष 300 ब्रांडेड नाम से बिकने वाली दवाओं को नोटिफाई किया है। अगस्त 2023 के बाद बनी इन सभी दवाओं की पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड होता है। उसे स्कैन करते ही उसकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है। केमिस्ट से दवाइयां खरीदते समय उनकी सीलिंग और पैकेजिंग को अच्छे से जांच लें, कभी.कभी नकली दवाएं साइज, शेप और कलर में कुछ अलग दिखती हैं।. अगर आपने ऑनलाइन दवाएं खरीदी हैं, तो दवाएं खरीदने के बाद अपने उन्हें अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं।

स्वामी विवेक जैन, प्रकाशक विवेक जैन, मुद्रक कैलाश महाजन द्वारा गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, तिलक पथ, खरगोन से मुद्रित एवं 26/1, विवेकानंद कॉलोनी, वार्ड नंबर 5, खरगोन से प्रकाशित, संपादक विवेक जैन।.RNI No. MPHIN/2022/85285, मोबा. नं.98262 25025, 94254 89337 (समस्त प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र खरगोन रहेगा)।